न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

क्रमांक /कोर्ट/2025/ 856

दिनांक 26/9/25

श्री सुभाष चन्द
निवासी ग्राम नोहरदा,
रूपवास, जिला भरतपुर
मो न0 7014148113

विषयः—अपील संख्या 52/2025 अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 उनवानी **श्री सुभाष चन्द बनाम लो.सू.अ. तहसीलदार रूपवास** में निर्णय की प्रति भिजवाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील में **निर्णय दिनांक 19.09.2025** की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः— निर्णय प्रति

आज्ञा से
रीडर
जिला कलक्टर,
भरतपुर

फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

सुभाष चन्द बनाम लो.सू.अधि. तहसीलदार रूपवास

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 52 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
04.09.2025	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट सुभाष चन्द निवासी ग्राम नोहरदा, रूपवास, जिला भरतपुर की अपील ऑनलाईन अपील संख्या 060339111696710 से लोक सूचना अधिकारी **तहसीलदार रूपवास** के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील की प्रति **तहसीलदार रूपवास** को प्रेषित कर अपील पर रिपोर्ट तलब की जावे। यदि प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई हो तो प्राप्ति रसीद मंगाई जावे। पत्रावली दिनांक 19.09.2025 को पेश हो। जिला कलक्टर भरतपुर	767 4/9/25
19/9/25	पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो जिला कलक्टर भरतपुर	

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/52/2025

श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम नोहरदा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर पिन कोड 321404 मो. नं. 7014148113

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास ......रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 19.09.2025

आदेश

अपीलार्थी श्री सुभाष चन्द निवासी ग्राम नोहरदा, तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0 की सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 के तहत ऑनलाईन अपील सं0 060339111696710 इस आश्य की प्राप्त हुई है कि प्रार्थी/अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदि का अवलोकन किया गया। चाही गई सूचना तहसीलदार रूपवास से सम्बन्धित होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/767 दिनांक 04.09.2025 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार रूपवास से कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होना यह स्पष्ट करता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना, लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है, यानि लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर सूचना लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपील स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करावें। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे। साथ ही आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार रूपवास को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर
भरतपुर